PS
Steno Gr. II
Steno Gr III

रजिस्ट्री सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05

N. E. C. LIBRARY
Date..........
SHILLONG

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEC

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, मई 29—जून 4, 2005, शनिवार/ज्येष्ठ 8—ज्येष्ठ 14, 1927

No. 23] NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2005, SATURDAY/JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

शिलांग, 8 मार्च, 2005

सा.का.नि. 179.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ख' पद) भर्ती नियम, 1986, जहां तक वे निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड I के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय में निजी सचिव के पद की भर्ती प्रणाली को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं; नामत :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, निजी सचिव, वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि :** उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **अनर्हता :** जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद
1	2	3	4	5
निजी सचिव	5* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	रु. 6500-200-10500	प्रवरण

क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-II **नोट :** जहां अर्हता/पात्रता प्राप्त करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रेन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड प्रान्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा किया है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष 2. उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य	इन नियमों के उपबंधों में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

[सं. एनईसी/एडीएम/12/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 8th March, 2005

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Private Secretary and Stenographer Gr. I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Private Secretary Group 'B' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
Private Secretary	5* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200 10500	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion	**Promotion :** Stenographer Grade-II with six year's regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have alredy completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/ relaxation of the provisions of these Rules

[No. NEC/ADM/12/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy,